न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 246/2015

लाधूराम (मृतक)

1. मघी देवी पत्नी लाधूराम
2. सन्तो देवी
3. मोहनलाल — पिसरान लाधूराम
4. सांवलाराम
5. चावली
6. अशोक कुमार
7. जीवणी
8. मनीराम (मृतक)

8/1 शांति देवी पत्नी मनीराम

8/2 महेन्द्र
8/3 दयाराम — पिसरान मनीराम
8/4 निराणी

जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री सांवताराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढझ जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ ।

——रेस्पोडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 75 राज. भू रा.अधि.1956

विरूद्ध आदेश भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ

दिनांक 15.06.1984

उपस्थितिः—

श्री राजेन्द्रप्रसाद शर्मा अभिभाषक अपीलांट

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री बाबूलाल चाण्डक, अभिभाषक रेस्पों.

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 06.11.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा यह अपील भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं सहायक आयुक्त उपनिवेशन सूरतगढ के आदेश दिनांक 15.06.1984 के विरूद्ध पेश की है जिसके द्वारा चक 6 एम.सी. के मु.नं. 57/35 के कि.नं. 16 से 19 की 4 बीघा , 22, 23 की 1.16 बिस्वा कुल 5.16 बीघा भूमि अपीलांट की खारिज कर रेस्पों. सं. 1 के नाम से स्वीकार करने के आदेश दिये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के नाम से संयुक्त खातेदारी भूमि में से 38.12 बीघा भूमि राजस्थान नहर योजना में अवाप्त कर ली गई थी। अवाप्तशुदा भूमि के बदले में अपीलांट के नाम से संयुक्त खाते में दिनांक 21.12.1983 को चक 6 एम सी के मु.नं. 57/17 के कि.नं. 10, 11, 14, 18, 23 की 5 बीघा, मु.नं. 57/9 के कि.नं. 15, मु.नं. 57/36 के कि.नं. 2 से 12 की 11 बीघा मु.नं. 37/35 के कि.नं. 16 से 19, 22 से 25 की 7.12 बीघा , मु.नं. 57/24 के कि.नं. 1 कुल 25.12 बीघा भूमि तबादले में मिली जिसका कब्जा अपीलांट को दे दिया गया। रेस्पों. सं. 1 के नाम से चक 6 एम.सी. के मु.नं. 57/36 के कि.नं. 3 से 5 , मु.नं. 57/32 के कि.नं. 24, 25 की 1.16बीघा कुल 4.16 बीघा दिनांक 06.01.1982 को तबादले में स्वीकृत मानकर अधी. न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04. 1984 को अपीलांट के नाम से संयुक्त खाते में दी हुई भूमि में से खारिज कर दी। उक्त आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया है जबकि अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रकरण अवाप्ति से सम्बन्धित है जिसकी अपील नहीं हो सकती। अपीलांट किसी प्रकार से अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपील आज्ञा विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.06.1984 द्वारा सहायक उपनिवेशन आयुक्त सूरतगढ जिसके द्वारा चक 6 एम.सी. के मु.नं. 57/35 के कि.नं. 16 से 19 की 4 बीघा, 22 व 23 की 1.16 बीघा कुल 5 बीघा 16 बिस्वा भूमि का आवंटन दिनांक 15.06.1984 को सावताराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ को आवंटन के विरूद्ध पेश की है जो मूल अपील अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर कैम्प सूरतगढ के न्यायालय में अपील सं. 235/84 दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्णय दिनांक 10.07.1985 को अपील अपीलांट लाधूराम की स्वीकार की गई जिसके विरूद्ध रेस्पों. सावताराम पुत्र रावताराम ने राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रिवीजन सं. 215/85 अनवान सावताराम पुत्र रावताराम जाति मेघवाल निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ Pettioner बनाम लाधूराम पुत्र शेराराम जाति कुम्हार निवासी हरीसिंहपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर व राज्य सरकार Non Pettioner के रूप में दर्ज होकर दिनांक 09.10.85 को माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर आदेश दिया कि "अतः अतिरिक्त उपनिवेशन आयुक्त एवं राजस्व अपील प्राधिकारी बीकानेर को लिखा जावे कि उनके आदेश दिनांक 10.07.1985 में अंकित विवादग्रस्त आराजी की मौजूदा स्थिति को ताहुक्मसानी यथावत कायम रखा जावे। इस आदेश की प्रति सम्बन्धित न्यायालय को भी प्रेषित की जावे " एव दिनांक 19.02.92 को अन्तिम रूप से निर्णित हुई जिसमें पीटिशनर सांवताराम की रिवीजन में अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन एवं राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर कानिर्णय दिनांक 10.07.85 अपास्त कर सहायक आयुक्त उपनिवेशन सूरतगढ का निर्णय दिनांक 15.06.85 upheld रखा जिका कियात्मक अंश है कि " the order of the Add. Colonisation Commissioner- Cum R.A.A.

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

Bikaner dated 10-07-85 is quashed and the order of the Asstt. Colonisation Commissioner, Suratgarh dated 15-06-84 is upheld. The parties are free to approach the High Court if any of them still feels aggrieved. In conclusion, the revision petition in allowed. Pronounced in open court." माननीय राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 19.02.92 के विरूद्ध प्रकरण हाजा के अपीलांट लादूराम पुत्र शेराराम ने माननीय उच्च न्यायालय में S.B. Civil writ pettion No. 138/93 जिसमें निर्णय दिनांक 13.05.98 द्वारा pettion allow होकर राजस्व अपील अधिकारी को Fresh निर्णय के लिए Remitted की गई है निर्णय का operative part है कि " In the result the petition is allowed. The order dated 19.02.92 is set aside and the matter is remitted back to the Revenue Appellate Authority for decision afresh in the light of the observations made hereinabove. there will be no order as to coasts."

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.05.98 के कियात्मक आदेश जो " Observation made above" की Bare reading है कि " It is obvious that the question of maintainability of the appeal before the Board of Revenue has not been considered by the appellate authority and the Board of Revenue has erred in setting aside that order without getting any decision or rendering any decision on the question of maintainability of the appeal as lodged by the petitioner. Interest of justice would be met, therefore, If the matter is remitted to the appellate authority deciding the matter afresh in accordance with law with a direction to decide also the question of maintainability of the appeal itself."

कालान्तर में प्रकरण हाजा का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार प्रथम बिन्दु maintainability of appeal 235/84 एवं निर्णय " decision afresh" में merits अनुसार निर्णय किया जाना है।

प्रथम बिन्दु का विनिश्चय के लिए सन्दर्भ कानूनी प्रावधान है कि रेस्पो. को आवंटित कृषि भूमि जिसे अपीलांट ने चुनौती दी है इस आदेश का Text है कि " आज पत्रावली के साथ कागजात पेश हुए। वकील प्रार्थी उपस्थित एवं अप्रार्थी लाधूराम उपस्थित। उन्हें सुना गया। चक नं. 6 एम.सी. का मु.नं. 57/35 कि .नं.

6/11/17
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

16 ता 19 की 4 बीघा, 22, 23 की 1.16 बीघा = 5.16 बीघा रकबा मु0 मामकोरी बेवा नथू 1/3 हि0 लाधु वल्द शेरा 1/3 हि0 कौम कुम्हार को जरिये पत्रावली सं. 27/83 के द्वारा दिनांक 21.12.83 को तबादला में स्वीकार किया गया था। परन्तु उक्त किले सावता वल्द रावता मेघवाल के कब्जा काश्त का बतलाया जा रहा है। अतः नजरसानी स्वीकार करते हुए उक्त रकबा मु0 मामकोरी बेवा नथू व लाधु पुत्र शेरा के नाम से तबादला में स्वीकार हुआ है। व कम करने के आदेश दिये जाते हैं। मामकोरी वगेरह को अन्य रकबा प्रस्तावित करने के लिये तहसीलदार को लिखा जावे। कागजात दाखिल दफ्तर हो। और मूल पत्रावली तबादला के साथ संलग्न रहे।'' आदेश की इबारत से तो यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवंटन किस नियमों में किया है परन्तु आदेश की अपील राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अधीन बने नियमों के तहत हुई है के सम्बन्ध में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 5(3) के अनुसार अपील इस न्यायालय में की जा सकती है कानून की Bare reading है कि " Appeal to Revenue Appellate Authority- Section 5 of the Rajasthan Colonisation Act provides " except as other wise provided in this Act," the laws relating to agricultural tenancies, the power, duties, jurisdiction and procedure of revenue courts etc. shall be applicable to the tenancies held and the proceedings conducted under the Rajasthan Colonisation Act. So against the order of Collector canceling the allotment under Section 11/14 of the Colonisation Act, the first appeal shall lie to the Revenue Appellate Authority and against the order of the Revenue Appellate Authority passed in appeal, the second appeal shall lie to the Board of Revenue."

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर में अपील संधारण योग्य है। विनिश्चय के पश्चात अगला बिन्दु गुणावगुण का हैं। सांवताराम के आवंटन किसी विधि विधान के प्रतिकूल है कहीं पर न चुनौतीग्रस्त हुआ न ही विवेचित, अपितु रेस्पो. के आवंटन में ही लिखा है जितना रकबा सांवताराम को अपीलांट की तबादला शुदा भूमि में कम करके आवंटित की है के वैकल्पिक प्रस्ताव तहसीलदार से आवंटन अधिकारी ने मंगवाऐ है, जिसके सम्बन्ध में

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपीलांट द्वारा अपील में रिवीजन में एवं याचिका में कहीं भी न तो प्रतिकार किया है न ही कोई आपत्ति की है। अतः रेस्पो. एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति है उसे आवंटित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42(b) के प्रावधानुसार किसी गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम नहीं की जा सकती जैसा कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्याय सिद्धन्त WLN 1982 पेज 258 बालू बनाम बिरदा निर्णय दिनांक 18.03.1982 द्वारा यह held किया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कृषि भूमियां किसी न्यायालय द्वारा चाहे contest decree हो या compromise decree गैर अनुसूचित जाति के नाम हस्तान्तरित नहीं हो सकती। सन्दर्भ न्याय सिद्धान्त का पठन है कि " बालू वगैरा बनाम बिरदा एवं अन्य on 18 मार्च 1982 Equivalent citations : AIR 1983 Raj 13, 1982 WLN 258(para 14) के अनुसार compromise decree से हस्तान्तरण वर्जित है तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में इसी न्याय सिद्धान्त में अपना जो मत व्यक्त किया है जो पैरा संख्या 16 से 21 के अनुसार निम्नानुसार है :–

16. The question which still arises is whether such a transfer amounts to sell, bequest, gift or other conveyance of properly as contemplated by the transfer of Property Act.

17. In my opinion, the provisions of Section 42 have been enacted for prohibiting transfer of agricultural land from Scheduled Caste to Non- Scheduled Caste, on the ground that Scheduled Caste and Scheduled Tribe are the weaker section of society and if protection is not given the other affluent members of society would exploit them. This is a socio- economic legislation to ameliorate the conditions of downtrodden, depressed and suppressed segments of society, who are weaker financially, economically, socially and also in education.

18. It is , therefore, necessary that broad liberal interpretation should be given to the word,' transfer' used in this proviso and all direct or indirect methods of transperring property should be considered to be hit by the prohibition, contained in Section 42. In that context and background, the sale or bequest would be void.

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

19. The parties manipulate compromise in civil suits and revenue suits and both the parties want to change the property from one personto other person. Can it not be sais that it was a transfer for the purpose of Section 42, as surrender can only be made Under Section 55 of the Rajasthan TenancyAct?

20. Broadly speaking, I am of the opinion that the word, 'transfer' used in the proviso to Section 42 should be treated as comprehensive and even if an agricultural land in Khatedari of Scheduled Caste and Scheduled Tribe is given to Non- Scheduled Caste. Non- Scheduled Tribe, by a compromise in a suit, then also it would come within the mischief of prohibited transfer under Section 42 of the Rajasthan Tenancy Act. Even a contested decree resulting in transfer would be covered by the protective umbrella of Section 42 of the Act.

21. What precisely happened in this case would still involve complicated questions of fact requiring evidence as Mr. Tibrevval sub-mitt, that the plaintiff was not Khatedar at all the appellant's counsel Shri Hanuman Choudhary Submits that Khatedari rights were the plaintiff for Khasrit No.64.

इस परिप्रेक्ष्य में सावंताराम जो अनुसूचित जाति का व्यक्ति है के जिसे दिनांक 15.06.84 को आज से 33 वर्ष पूर्व आवंटित भूमि का आवंटन निरस्त कर अपीलांट लाधूराम के नाम करना न केवल विधि का Violation होगा अपितु Legislature द्वारा धारा 42(b) का जिस मानसिकता से विधि में समाहित किया है object ही असफल होगा। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सूरतगढ को निर्देश दिये जाते है कि रेस्पो. को आवंटित कृषि भूमि का राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद नहीं हुआ हो तो नामान्तरणकरण खोलकर उसके पक्ष में निर्णित करे तथा मौके पर रेस्पो. सावताराम का कब्जा न हो तो एक माह में कब्जा दिलाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में पेश करें।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर